न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर

पीठासीन – श्री [illegible] कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
7/2023	27.09.2021	05.01.2024

अनवान

1. श्रीमती रामपाली पुत्री मोरया उर्फ मोरपाल पत्नि गणपत मीना निवासी पॉवडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा हाल निवासी ग्राम डेकवा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्ट............

बनाम

1. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत पॉवडेरा
2. केली देवी पत्नि हरिराम मीना
3. मीठालाल पुत्र हरिराम मीना
4. कान्ति पत्नि हंसराज मीना
5. टीना पुत्री हंसराज मीना
6. मीना पुत्री हंसराज मीना
7. रीना पुत्री हंसराज मीना
8. राधिका पुत्री हंसराज मीना
9. दिलखुष पुत्र हंसराज मीना

समस्त निवासीयान पॉवडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा

रेस्पोडेंट..............

:: अपील नामान्तरकरण सं. 1010

फैसल दिनांक 20.11.2020 ग्राम पंचायत पॉवडेरा ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री हंसराज यादव, एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री हरिराम प्रजापत , एडवोकेट रेस्पोडेंट 1, 2 लगायत 3 की ओर से

:: निर्णय ::

अपीलान्ट की अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम पॉवडेरा पटवार हल्का पॉवडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 544 के खसरा न0 1299 रकबा 0.77 है0 किस्म बारानी 1, खसरा न0 1301 रकबा 1.86 है0 किस्म बारानी 1, खसरा न. 1641/2736 रकबा [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] 1. कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है० हिस्सा सम्पूर्ण एवं खाता संख्या [illegible]
खसरा नं. 1302 रकबा 0.26 है० में हिस्सा 1/4 भाग भूमि खातेदार मोरपाल पुत्र चन्द्रा मीना निवासी ग्राम पावंडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर की मृत्यु के बाद उसकी छोड़ी हुई कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण संख्या 1010 निर्णय दिनांक 20.11.2020 ग्राम पंचायत पॉवडेरा बाबत ग्राम पॉवेडरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर द्वारा केली देवी पत्नि हरिराम मीना हिस्सा 1/3 भाग, मीठालाल पुत्र हरिराम मीना हिस्सा 1/3 भाग, हंसराज पुत्र हरिराम मीना हिस्सा 1/3 भाग, जाति मीना साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज कर जमाबंदी ग्राम पॉवडेरा सम्वत 2073–76 में दर्ज कर दिया जो गलत है। विवादित नामांतकरण ग्राम पंचायत पॉवडेरा द्वारा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गुप्त तरीके से संरपंच महोदय ग्राम पंचायत पांवडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा द्वारा मजमे आम में जांच कर तस्दीक नहीं किया गया क्योंकि मृतक मोरया उर्फ मोरपाल पुत्र चन्द्रा मीना के विरासत के नामांतकरण के दौरान अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया। उक्त तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी दिनांक 17.08.2021 को अपीलार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर किसान केडिट कार्ड ऋण लेने हेतु अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल एवं नामान्तकरण की नकल लेने पर हुई। मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत पावडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा का निर्णय दिनांक 20.11.2020 मृतक के उत्तराधिकारियों की मजमें आम में जांच के बिना पारित किया गया है जो रद्ध किये जाने योग्य है। मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत पॉवडेरा ने मृतक मोरया उर्फ मोरपाल पुत्र चन्द्रा मीना के विरासत के नामांतकरण दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। क्योंकि रेस्पोडेंटस मृतक मोरया उर्फ मोरपाल पुत्र चन्द्रा मीना निवासी पावडेरा का विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक मोरया उर्फ मोरपाल पुत्र चन्द्रा मीना का वास्तविक सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

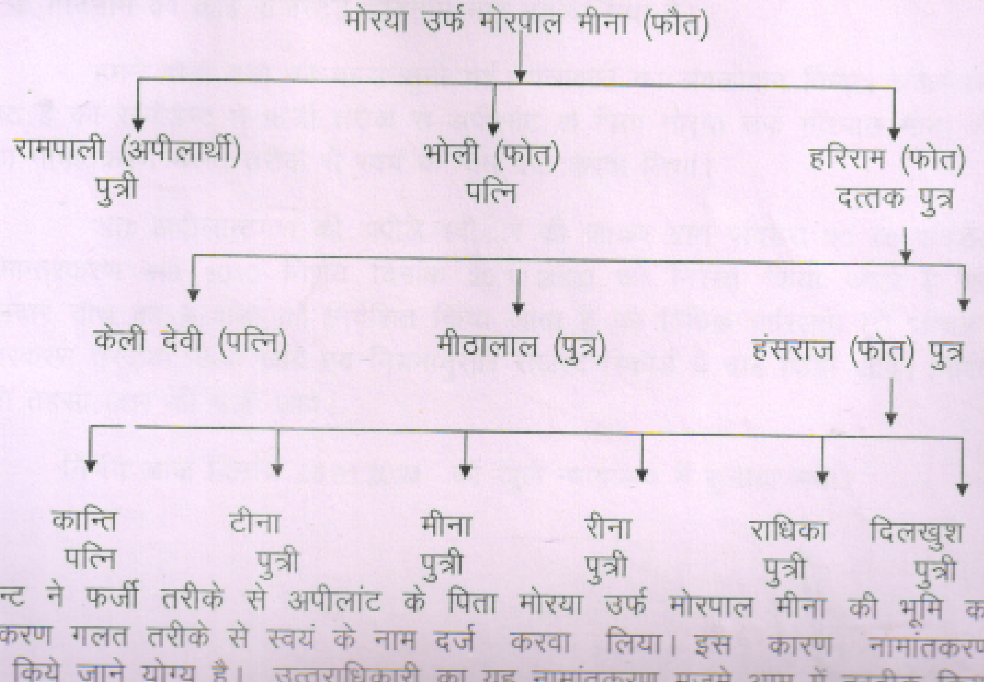

रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से अपीलांट के पिता मोरया उर्फ मोरपाल मीना की भूमि का नामांतकरण गलत तरीके से स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। इस कारण नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। उत्तराधिकारी का यह नामांतकरण मजमे आम में तस्दीक किया जाता तो काई भी ग्रामवासी प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलान्ट के वास्तविक वारिसान की जानकारी दे सकता था। मुझ अपीलार्थी को मृतक मोरया उर्फ मोरपाल मीना के विरासत के नामांतकरण में सर्वप्रथम उक्त तथ्य की जानकारी 17.08.2021 को अपीलार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर किसान केडिट कार्ड ऋण लेने अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल एवं नामांतकरण की नकल लेने पर हुई। [illegible]

मय शपथ पत्र डिले कन्डोन करने हेतु अलग से प्रस्तुत है। बकिया उज्रात मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किये जाने के बाद जुबानी अर्ज किये जायेंगे। अपील मय नकल नामान्तकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामांतकरण संख्या 1010 निर्णय दिनांक 20.11.2020 सरपंच ग्राम पंचायत पावडेरा बाबत ग्राम पावडेरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को रद्ध फरमाया जावे तथा विस्तृत जांच करके अपीलार्थी के पिता के वास्तविक वारिसान अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिसे शामिल फाईल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 लगायत 9 नाबालिक जरियें संरक्षक माता कान्ति देवी पत्नि हंसराज मीना ने नोटिस लेने से मना किया। अतः उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगातयत 3 की और से श्री हरिराम प्रजापत एडवोकेट ने अधिकार पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया। अपीलांट वकील द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट पक्ष केवल पत्रावली को लम्बित रखना चा रहे है। इस प्रकार रेस्पोडटेन्ट वकील द्वारा अपील नामान्तकरण स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं जताई जिसका पत्रावली पर अंकन लिया गया।

तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई जिसे शामिल फाईल किया गया । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मृतक मोरया पुत्र चन्द्रा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1010 निर्णय दिनांक 20.11.2020 को तस्दीक हुआ था। मृतक मोरया पुत्र चन्द्रा की विरासत नामा0 1010 निर्णय दिनांक 20.11.2020 द्वारा केलीदेवी पत्नि स्व0 हंसराज , मीठालाल पुत्र हरिराम, हंसराज पुत्र हरिराम के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। ग्राम पांवडेरा के मोतबिरान द्वारा मृतक मोरया पुत्र चन्द्रा मीना के वारिसान की पटवारी हल्का द्वारा जांच करने पर उसके एक मात्र वारिस रामपाली पुत्र मोरया होना बताया है। हरिराम पुत्र मोरया के गोदनामे का कोई रजिस्टर्ड गोदनाम नहीं बताया गया है।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है की रेस्पोडेन्ट ने फर्जी तरीके से अपीलांट के पिता मोरया उर्फ मोरपाल मीना की भूमि का नामांतकरण गलत तरीके से स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया।

अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पांवडेरा प0 ह0 पांवडेरा के नामान्तरकरण सं0 1010 निर्णय दिनांक 20.11.2020 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है की विधिक वारिसान की जांचकर नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे एवं नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा